न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4779/2003/बाड़मेर

मुकना पुत्र खैराज मृतक जरिए वारिसः–

1. भोमाराम पुत्र मुकना
2. मूलाराम पुत्र जोगाराम पौत्र मुकना
3. श्रीमति जमना बैवा मुकना

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।

––अपीलांट

बनाम

1. खैराज पुत्र कौशला मृतक जरिए वारिसान
   1/1 सवाईराम पुत्र खैराज
   1/2 किशनराम पुत्र खैराज
2. मेहराम पुत्र कौशला मृतक जरिए वारिसान
   2/1 चैनाराम पुत्र मेहाराम
   2/2 जेठाराम पुत्र मेहाराम
   2/3 श्रीमति धन्नू पत्नि मेहाराम
3. चुतराराम पुत्र कौशला
4. केसरा पुत्र कौशला
5. लूम्बा पुत्र कौशला
6. पूरणा पुत्र कौशला
7. गंगा पुत्री कौशला

समस्त जाति जाट निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।

––रेस्पोडेंट्स

खण्ड पीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
श्री विरेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक : 19–12–2024

निर्णय

यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2002 में पारित निर्णय दिनांक 30–08–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट/वादी ने अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जा काश्त की प्रश्नगत भूमि है परंतु भू–प्रबंध अधिकारियों ने गलती से वादीगण के खेत के बीच में से बाड़मेर–धौरी मन्ना सड़क निकलने से खेत को दो भागों में बांटकर खसरा नं0 541 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा का पर्चा लगान तो वादीगण के नाम कर दिया मगर आराजी खसरा नं0 617 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा प्रतिवादी/अपीलांट के नाम दर्ज कर दिया। कुछ भूमि सड़क में चली गई जो खसरा नं0 617/1 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के रूप में दर्ज हो गई। इस प्रकार वाद में वर्णित भूमि खसरा नं0 617 रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा तथा खसरा नं0 617/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा वादीगण के बजाय प्रतिवादी/अपीलांट के नाम दर्ज हो गई जिसे पुनः वादीगण के नाम दर्ज की जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करें। सहायक जिलाधीश बाड़मेर द्वारा तीन तनकीयात कायम कर वादीगण के दावे को दिनांक 02–11–1977 को खारिज कर दिया गया जिसकी अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जो 17–05–1983 को स्वीकार की जाकर सहायक जिलाधीश बाड़मेर को रिमाण्ड कर दी गई। राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के निर्णय दिनांक 17–05–1983 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 22–09–1994 को निरस्त कर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर का निर्णय 17–05–1983 को यथावत रखा गया।

4— प्रकरण रिमाण्ड होने पर सहायक जिलाधीश बाड़मेर ने दिनांक 30–10–2000 को वादी/रेस्पो0 का दावा डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर को अपील पेश की जो दिनांक 30–08–2003 को निरस्त कर दी गई। उससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

5— अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय रिकॉर्ड एवं दस्तावेज के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। तीनों तनकीयां रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों

के विरूद्ध निर्णित की गई है। सहायक जिलाधीश द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के निर्देशों की अक्षरशः पालना नहीं की गई और निर्णय पारित कर दिया जो कि विरोधाभासी है। पूर्व में सहायक जिलाधीश बाड़मेर ने वादी/रेस्पो0 का दावा निरस्त किया था। परन्तु पुनः वही दावा स्वीकार कर लिया गया जो विरोधाभासी प्रकृति का है। राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के निर्णय दिनांक 17–05–1983 के अनुसार दो माह में साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने थे जो पेश नहीं किए गए जबकि पूर्व दस्तावेजों के आधार पर निर्णय दिनांक 02–11–77 को वाद में निरस्त किया गया था और वर्तमान में स्वीकार कर लिया गया है, जो विरोधाभासी है।

6– सहायक जिलाधीश ने सरसरी तौर पर दावा डिक्री किया है जो कानूनी भूल का है। जब 17–05–1983 की पालना सहायक जिलाधीश ने नहीं की तो राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित करना था, जो नहीं किया है इस कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय/डिक्री निरस्तनीय हैं।

7– सहायक जिलाधीश ने तीन तनकीयात पर भी विस्तृत निर्णय पारित नहीं किया है न ही राजस्व अपील प्राधिकारी ने तनकीवार निर्णय किया है। निर्णय सी0पी0सी0 के आदेश 14 एवं आदेश 20 नियम 5 के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2003 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2000 को निरस्त किया जावे।

8– इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं तथा राजस्व अपील प्राधिकारी एवं सहायक जिलाधीश ने अपने निर्णय में कोई त्रुटि नहीं की है। पूर्व दावा निरस्त होना व बाद में दावा स्वीकार होना पर प्रश्न इसलिए भी नहीं उठाया जा सकता क्योंकि पत्रावली पर जो दस्तावेज थे तथा जो साक्ष्य पेश किए गए उनके आधार पर निर्णय किया है। साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया है तथा जो पक्षकार इस निर्णय से अप्रसन्न है, वे अपील

में जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु यहां अपीलीय न्यायालय ने भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा है जो यह माना जाने का कारण नहीं है कि पक्षकारों को समय व पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया हो।

9— सहायक कलक्टर द्वारा उक्त निर्णय सरसरी तौर पर न कर पूर्ण विवेचन के साथ किया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी इस निर्णय को पूर्ण रूप से विधि सम्मत माना है। इसलिए रिमाण्ड नहीं किया। अतः यह कहना गलत है कि सहायक जिलाधीश ने सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है। तनकी के समस्त विवेचनों को समाहित करते हुए निर्णय पारित किया गया है। निर्णय को मात्र तकनीकी आधार पर नहीं देखना चाहिए वरन् समग्र रूप से देखना चाहिए। भू—प्रबंध विभाग को पूर्व प्रविष्टियों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है तथा दस्तावेज पेश करने का वादी को पर्याप्त अवसर दिया है एवं मौखिक साक्ष्य भी पेश करने का पर्याप्त अवसर सहायक जिलाधीश ने प्रदान किया है। जिसमें वादी ने दस्तावेज पेश किये हैं प्रतिवादी ने दस्तावेज पेश नहीं किये हैं वादी ने मगा व भारू को परीक्षित करवाया है तथा प्रतिवादी ने मुकना व तगसिंह को परिक्षित कराया है। अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने तर्कों के समर्थन में आरबीजे (14) 2007(HC) पेज 35, आरबीजे (4) 1997 पेज 554, आरबीजे (7) 2000 पेज 497, आरआरटी 2000(1) 244, आरआरटी 2008(1) पेज 151 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं।

10— बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11— खसरा बंदोबस्त संवत् 2009—10 में खैराज, मेहा, चतरा, केशरा, लूबा, पूरणा, गंगा पि0 कौसला खसरा नंबर 541 रकबा 16 बीघा, 4 बिस्वा, खसरा नंबर 617 में 20 बीघा, 2 बिस्वा खैराज वगैरह के नाम कदीम खातेदार दर्ज है। संवत् 2009 व 2010 की गिरदावरी बंदोबस्त जो पत्रावली में पेश है, के कॉलम 5 में केशर सिंह वगैरह खसरा नंबर 617 लोरठी कॉलम संख्या 7 में खैराज, मेहा, चतरा, केशरा, लूंबा, पुरणा, गंगा पि0 कौशला अंकित है। काश्त में बाजरी 20 बीघा 2 बिस्वा अंकित है।

12— प्रदर्श P-2 जमाबंदी से 2032—2035 खसरा नंबर 617 रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा, 617/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा मुकना/खैराज के नाम दर्ज है, प्रदर्श P-4 गिरदावरी स्लिप है, जिसमें खसरा नंबर 617 रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा मुकना/खैराज के नाम दर्ज है। काश्त में खेराज, मेहा, चुतरा, केसरा, लूंबा, गंगा, पुरणा का भी नाम अंकित है। खसरा गिरदावरी संवत् 2017—2020 प्रदर्श P-5 के कॉलम 6 में उपकृषक में खेराज, मेहा, चुतरा, केसरा लुम्बा, पुरणा, गंगा पी. कौशला के नाम है। नीचे की नकल संवत् 2021—2023 में कॉलम 6 में उपकृषक में खैराज के नाम पर गोला मारकर मुकना वल्द खैराज का नाम अंकित है। खसरा गिरदावरी 2024—2027 के कॉलम संख्या 6 में उपकृषक में मुकना वल्द खैराज अंकित है। सहायक कलक्टर बाड़मेर ने अपने निर्णय 02—11—77 में वादी खैराज के वाद को खारिज कर दिया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील की, जिसमें प्रकरण रिमाण्ड किया गया। तदुपरांत राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा भी राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश को सही मानकर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया।

13— बंदोबस्त जमाबंदी संवत् 2009 खसरा नं0 617 खैराज वगैरह के नाम है। साथ ही जमाबंदी संवत् 2032—2035 में खसरा नं0 617 मुकना/खैराज के नाम दर्ज है। संवत् 2009 से 2032 के मध्य विवादित भूमि मुकना के नाम कैसे हस्तान्तरित हुई, इसकी चेन ऑफ डॉक्यूमेन्ट प्रस्तुत नहीं होने से यह निर्णित किया जाना संभव नहीं है कि उपरोक्त भूमि मुकना/खैराज के नाम कब व कैसे हुई।

14— पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि सहायक कलक्टर बाड़मेर का निर्णय दिनांक 30—10—2000 सारभूत विवेचन अनुसार नहीं किया गया है। मुकना को दस्तावेज सबूत पट्टा पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त गिरदावरी संवत 2017—2020 में वादी का नाम दर्ज है परन्तु जमाबंदी संवत् 2024—27 में मुकना का नाम भी अंकित है। न तनकीवार निर्णय पारित किया गया। जबकि सीपीसी में आदेश

14, आदेश 20 नियम 5 स्पष्ट कहता है कि जहां तनकी बनाई गई है वहां तनकीवार स्पष्ट विवेचन करते हुए सकारण निर्णय पारित करना चाहिए।

15— प्रश्नगत प्रकरण के वाद संख्या 313/75 में निम्नानुसार तनकियां बनायी गई थी—

(1) आया खेत ख0नं0 617 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा सरहद मौजा उण्डखा वादीगण के खेत ख0नं0 541 का अभिन्न अंग होने से अपने नाम खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी हैं। .....जिम्मे वादीगण

(2) आया जवाब दावा के मजीद उज्रात पद सं02 में वर्णित कारणों से दावा चलने योग्य नहीं है। .....जिम्मे प्रतिवादी

(3) सहायता

16— इन तनकियात का विवेचन मात्र 02—11—1977 के सहायक जिलाधीश बाडमेर के निर्णय में तनकीवार निर्णय किया है। जबकि बाद के दूसरे फैसले 30—10—2000 के निर्णय में तनकीवार निर्णय नहीं किया गया है जिससे सीपीसी के आदेश 14 व आदेश 20 नियम 5 के स्पष्ट निर्देश की पालना नहीं की है इससे प्रकरण रिमाण्ड योग्य बनता है।

17— आदेश 14 एवं आदेश 20 नियम 5 सीपीसी में प्रावधित प्रावधान निम्नानुसार है—

Court to state its decision on each issue. In suits in which issued have been framed, the court shall state its finding or decision, with the reasons therefore, upon each separate issue, unless the finding upon any one or more or the issued is sufficient for the decision of the suit.

18— उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दस्तावेज की चेन सुस्पष्ट नहीं है एवं निर्णय भी तनकीवार नहीं है। इसकी स्पष्टता के लिए प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है जिसमें दोनों ही पक्षकार अपना नवीन व कोई प्राचीन रेकार्ड पेश करना चाहे, वे पेश करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

19— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—08—2003 एवं सहायक कलक्टर मुख्यालय बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—10—2000 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण सहायक कलक्टर मुख्यालय बाडमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

जाता है कि उपरोक्त विवेचन के क्रम में उभय पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेज पेश करने उपरान्त तनकीवार स्पष्ट विवेचन के साथ सकारण निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान दिनांक 15–01–2025 को सहायक कलक्टर मुख्यालय बाडमेर के न्यायालय में उपस्थित हों।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष